झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (शिकायत)– देवघर / PDS–29 / 2022 – 236

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

प्रधान सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 31·03·2023

विषयः– देवघर जिले में माह दिसम्बर 2022 के अनाज की कालाबाजारी करने संबंधी प्राप्त परिवाद पत्र पर कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि श्री श्याम नन्दन सिंह एवं अन्य का शिकायत पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। शिकायतकर्ताओं द्वारा देवघर जिले के देवघर प्रखण्ड के माह दिसम्बर 2022 के गेहूँ को राशन डीलर के ई–पॉस मशीन में लोड करा दिये जाने एवं उक्त मात्रा का अनाज डीलर को नहीं दिये जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, परिवहन अभिकर्ता एवं ऑपरेटर की मिलीभगत से अनाज की कालाबाजारी का भी आरोप लगाया गया है।

अतः प्राप्त शिकायत पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

31/3/23

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\Vinod Sir.docx379

15 04 22.03.23

सेवा में,

श्रीमान् मुख्य मंत्री (हेमन्त सोरेन जी)

झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

माननीय मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

श्री रामेश्वर उराँव महोदय,

सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

डायरेक्टर, खाद्य एवं उपभोक्ता निर्देशालय, झारखण्ड राँची।

सेवा में,

राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग, झारखण्ड, राँची।

419 22.3.23

विषय : देवघर जिले के कई प्रखंडों में जिला आपूर्ति पदा0 एवं राज्य खाद्य निगम के ठेकेदार के मिली भगत से माह दिसम्बर 2022 के हजारों क्वी0 गेहूँ डीलर को नहीं देकर बाजार में बेचकर करोड़ों रूपये वसूली के सम्बन्ध में।

महाशय,

सादर सूचित करना चाहता हूँ कि देवघर जिला के देवघर प्रखंड के माह दिसम्बर 2022 के गेहूँ को डीलर के EPOS मशीन में अनाज के मात्रा लोड करा दिया गया परन्तु डीलर को उक्त मात्रा का अनाज नहीं देकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री अमित कुमार राज्य खाद्य निगम के परिवहन अभिकर्ता एवं ऑपरेटर के मिली भगत से करोड़ों रूपये के अनाज को बाजार में बेचवा दिया गया। अब डीलर के मशीन में उक्त मात्रा लोड हो जाने से अगले एक दो माह में डीलर के मासिक कोटा में से कटौती कर लिया जायेगा, यह घोर अन्याय हो रहा है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का आखिर यह शह कहाँ से मिला क्या इसमें विभाग की मिलीभगत है, क्या जिला आपूर्ति पदा0 इतने शातिर अपराधी हैं जो हजारों कार्डधारियों के अनाज को कालाबाजारी में बेचवा दिया है। इसलिये देवघर प्रखंड एवं कई अन्य प्रखंड के दुकानदारों ने अपने ई0पी0ओ0एस0 मशीन से गेहूँ का पूजा नहीं निकाला है तो विभाग द्वारा इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। पूर्व में भी आवेदन दिया हूँ लेकिन विभाग गूंगा और बहरा हो गया है। जिला आपूर्ति पदा0 के विरूद्ध कोई कारवाई नहीं कर रहा है। आवेदन को गायब करवा दिया जा रहा है।

अतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन होगा कि इसकी जाँच हेतु शीघ्र ही आदेश देने की कृपा की जाय। जिला आपूर्ति पदा0 देवघर के विरूद्ध कानूनी कारवाई कर देवघर जिला से हटाने हेतु आदेश दिया जाय। देवघर प्रखंड के जनता का त्राहीमाम् संदेश।

विश्वासभाजन

(1) श्याम नन्दन सिंह

(2) सीताराम दास

प्रतिलिपि : सम्पादक महोदय, देवघर, हिन्दुस्तान पेपर [illegible] को सूचनार्थ।

(15)

(3) घुटन दास

(4) अस्लाम अंसारी

(5) रामप्रित मंडल

(6) सुरेश मरांडी

(7) सिराज असारी

(8) दुर्गा मरांडी

(9) कामी मंडल

(10) धनेश्वर मंडल

विधायक ने रोहिणी-बिरनिया पथ निर्माण व गेहूं आवंटन की मांग उठायी

प्रमुख संवाददाता, देवघर

विधानसभा में शून्यकाल सत्र के दौरान देवघर विधायक नारायण दास ने रोहिणी से कपासिया, बिरनिया, बाघमारी व जीतपुर पथ निर्माण की मांग उठायी. विधायक ने कहा कि यह पथ काफी जर्जर हो गया है. ग्रामीणों को आने -जाने में काफी परेशानी है. इस ग्रामीण कार्य विभाग के पथ को पीडब्ल्यूडी में तब्दील करते हुए नये सिरे से निर्माण कराया जाये, जिससे जसीडीह से रोहिणी बिरनिया होते हुए देवीपुर जाने का एक नया और बेहतर मार्ग मिल पायेगा. वहीं विधायक ने विधानसभा में देवघर जिले में लाभुकों को दिसंबर माह का गेहूं नहीं मिलने का मामला उठाया है. विधायक ने सदन को अवगत कराया कि डीलरों की मशीन में गेहूं का स्टॉक दिख रहा है तथा विभाग भी डीलरों को गेहूं वितरण करने के लिए कह रहा है, जबकि हकीकत है कि आवंटन ही उपलब्ध नहीं कराया गया है.